न्यायलय सहायक कलक्टर उवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी- मांगीलाल, आर. ए. एस.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या-35/2020

सहदेव पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 4 सीडीआर सहारणी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

-प्रार्थी

वनाम

1.शैलेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र पुत्र हिम्मताराम
2.सौरभ पुत्र शैलेन्द्र कुमार उर्फ सुरेन्द्र

जाति जाट निवासीयान मोरजन्ड खारी तह0सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

-अप्रार्थी गण

उपस्थितः-

1. श्री अब्दुल सतार ज़ोईया, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री सुनील परिहार, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

निर्णय दिनांक 31.03.2021

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का पेश किया कि चकनं0 4 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0न0 234/230 मु0 51. किलानं0 3/.063 है0 नहरी, 9/1/.089 नहरी, 12/1/088 नहरी, 19/1/.088 नहरी कुल 0.328 है0 नहरी आराजी अप्रार्थी सं0 1 की पत्नी व अप्रार्थी सं0 2 की माता सरोज के नाम से दर्ज कागजात माल थी इसके अलावा चक 5 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0न0 232/231 मु0 8 किलानं0 16/.253 नहरी, प0न0 233/231 मु0 9 किलानं0 14/2/.127 नहरी कुल 0.380 है0 आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी तथा अप्रार्थी सं0 2 की माता सरोज के नाम से दर्ज कागजात माल थी। मुस्मात सरोज मुझ प्रार्थी की मामा की वेटी वहन है जो शादी के वाद से ही मोरजण्ड खारी तहसील सादुलशहर में निवास करती है जिसके नाम से प्रार्थनापत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी के अलावा और कोई कृषि भूमि नही थी तथा उपरोक्त वर्णित आराजी टूकडो में थी जिसकी वजह से मुस्मात सरोज को उपरोक्त वर्णित आराजी की काश्त करना सुविधाजनक नही था, इसलिए मुस्मात सरोज ने दफा 2 में अपने नाम से वर्णित दोनो चकों की कुल 455 है0 आराजी विल मुक्ता 1,25,000/-रुपये अखरे एक लाख पच्चीस हजार रुपये में मुझ प्रार्थी को वर्ष 2001 में कतई वैय व फरोख्त कर थी तथा रोवरू गवाहान हंसराज पुत्र रणजीत व सुधीर पुत्र ख्यालीराम समस्त राशि नगद वसूल पाकर कव्जा मुझ प्रार्थी के सुपुर्द कर दिया था, इसलिए प्रार्थी खरीद के वर्ष 2001 से ही विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वर्तमान मे भी मुझ प्रार्थी की फसल काश्त की हुई है। चूंकि मुस्मात सरोज मुझ प्रार्थी की सगे मामा की वेटी वहन थी, जिसने मुझे विश्वास दिलाया था कि आप जव भी कहोगे मैं वैयनामा निष्पादित करवा दूंगी। प्रार्थी को अपनी वहन पर पूर्ण विश्वास व भरोसा था। मुस्मात सरोज ने अपने जीवनकाल में कभी भी प्रार्थी के कव्जा काश्त में मदाखलत वेजा नही की। मुस्मात सरोज फौत हो चुकी है जिनके वारीसान अप्रार्थी गण है। विवादित आराजी मुझ प्रार्थी द्वारा वर्ष 2001 में खरीद की गई आराजी है जो खरीद के वक्त से मुझ प्रार्थी के कव्जा काश्त मे चली आ रही है जिसकी रकम राज व नहरी आवियाना आदी ही खजानाराज में जमा करवाता चला आ रहा है। विवादित आराजी में अप्रार्थी गण का कोई हक व हिस्सा नही है, इसके वावजूद भी अप्रार्थी गण ने विवादित आराजी गलत रुप से अपने नाम से दर्ज करवा ली। अप्रार्थी गण के उक्त गलत अंकन से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत असर पड़ता है। अतः

प्रार्थी घोषणा इस आशय की पाने का अधिकारी व दावेदार है कि चक 4 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0न0 234/230 मु0 51 किलानं0 3/.063 नहरी, 9/1/.089 नहरी, 12/1/.088 नहरी, 19/1/.088 नहरी कुल 328 है। नहरी भूमि तथा चकं 5 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0न0 232/231 मु0 8 किलानं0 16/.253 नहरी, प0न0 233/231 मु0 9 किलानं0 14/2/.127 है0 नहरी भूमि मे अप्रार्थी गण के नाम से दर्ज आराजी का प्रार्थी तन्हा व अकेला खातेदार काश्तकार है तथा चक 4 व 5 सीडीआर के खाता हाजों में से अप्रार्थी गण का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार है। विवादित आराजी मुझ प्रार्थी की खरीद की हुई आराजी है जिस पर खरीद के वक्त से ही प्रार्थी काबिज रहकर काश्त कर रहा है जिसमें अप्रार्थी गण का कोई हक हिस्सा व हित नही है। विवादित आराजी पर मुस्मात सरोज का कब्जा काश्त कभी भी नहीं रहा तथा उसकी फौतगी के बाद विवादित आराजी पर कभी भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही रहा लेकिन अप्रार्थीगण ने विवादित आराजी गलत रुप से कागजात माल में अपने नाम से दर्ज करवा ली तथा उक्त गलत अंकन का नाजायज फायदा उठाने की गर्ज से विवादित आराजी को औने पौने दामों में बेचान करने पर आमादा है. तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा करने पर आमादा है यदि अप्रार्थी गण अपने इस गैरकानूनी मक्सद में कामयाव हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी, अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति, तीनों विन्दू प्रार्थी के पक्ष में है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निपेधाज्ञा वहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की जावे कि चकं 4 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0न0 234/230 मु0 51 किलानं0 3/.063 नहरी, 9/1/.089 नहरी, 12/1/.088 नहरी, 19/1/.088 नहरी कुल .328 है। नहरी भूमि तथा चक 5 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0न0 232/231 मु0 8 किलानं0 16/.253 नहरी, प0न0 233/231 मु0 9 किलानं0 14/2/ .127 है। नहरी भूमि मे अप्रार्थी गण अपने नाम से दर्ज आराजी को रहन,बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने तथा मुझ प्रार्थी के कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा करने तथा अन्य किसी व्यक्तियों से मदाखलत बेजा करवाने से ताफैसला दावा ममनू व वाज रहे।

प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार से रिपोर्ट ली गई। तथा पत्रावली में सलग्न दस्तावेजों, शपथ-पत्र व अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय वहस के आधार पर चक 4 सीडीआर के खाता 167/154 व चक 5 सीडीआर के खाता संख्या 35/55 में अप्रार्थीगण के नाम से दर्ज आराजी में अस्थायी निपेधाज्ञा विरूध अप्रार्थीगण इस आश्य की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादगत आाजी को रहन, वैय, अन्तरित न करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्राथीगण की और से अधिवक्ता उपस्थित आए व अपना जवाव पेश किया।

जवाव प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 को स्वीकार किया गया। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 3 में दर्ज तथ्य कि "मुस्मात सरोज मुझ प्रार्थी की मामा की वेटी वहिन है जो शादी के वाद से ही मोरजंड खारी तहसील सादुलशहर में निवास करती है।" इस संशोधन के साथ स्वीकार है तथा यह तथ्य भी स्वीकार है कि मुस्मात सरोज फौत हो चुकी है जिसके वारिसान अप्रार्थी गण है व मुस्मात सरोज मुझ प्रार्थी की मामा की वेटी वहिन थी जो शादी के वाद से ही मोरजंड खारी तहसील सादुलशहर में निवास करती थी। अन्य तथ्य गलत एवं मनघंडत होने के कारण अस्वीकार है। उपरोक्त वर्णित आराजी टुकड़ों में न होकर सम्पूर्ण खातों में थी तथा मुरमात सरोज को उपरोक्त वर्णित आराजी काश्त करने में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी. काश्त करना पूर्ण रूप से सुविधाजनक था। मुरमात सरोज ने दफा 2 में अपने नाम से वर्णित दोनों चकों की कुल 0.455 हैक्टेयर आराजी विलमुक्ता 1,25,000/-रूपये अथवा किसी भी कीमत में प्रार्थी को वर्ष 2002 में अथवा अन्य किसी भी तिथि को कतई वैय व फरोख्त नहीं की थी। जव मुरमात सरोज ने प्रार्थी को अपने नाम की उक्त कृपि भूमि कभी भी पैय व फरोख्त नहीं की तो ऐसी सूरत में रोवरू गनाहान हसंराज पुत्र रणजीत व सुधीर पुत्र ख्यालीराम समस्त राशि नगद वसूल पाने एवं कब्जा प्रार्थी के सुपुर्द करने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ और ना ही प्रार्थी वर्ष 2001 से ही विवादीत आराजी पर काबिज रहकर काश्त नहीं कर रहा है। मुस्मात सरोज ने प्रार्थी को अपने नाम की उक्त कृषि भूमि का वैय

व फरोख्त नहीं की तो ऐसी सूरत में मुस्मात सरोज द्वारा प्रार्थी को यह विश्वास दिलाने का कि आप जब भी कहोगें मैं बैयनामा निष्पादन करवा दूंगी प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ। प्रार्थी ने अपने वादपत्र को कानूनी रंग देने की गरज से प्रार्थना पत्र की इस चरण संख्या में यह तथ्य गलत एवं झूठ दर्ज किया है कि प्रार्थी को अपनी बहिन पर पूर्ण विश्वास व भरोसा था। विवादित भूमि पर हमेशा मुस्मात सरोज का ही कब्जा काश्त रहा है। प्रार्थी ने विवादित कृषि भूमि पर कब्जा होने के तथ्य गलत दर्ज किये है। विवादित आराजी न तो प्रार्थी की वर्ष 2001 से खरीद की गई आराजी है ओर ना ही विवादीत आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है और ना ही प्रार्थी ने कभी रकमराज व आवियाना जमा करवाया है। विवादीत आराजी अप्रार्थी गण की खातेदारी ंषि भूमि है। विवादित आराजी को अप्रार्थी गण ने गलत रूप से अपने नाम दर्ज नहीं करवाया है बल्कि विवादीत आराजी अप्रार्थी गण की खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी गण द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि का अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज करवाने से प्रार्थी के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं पड़ता है क्योंकि विवादीत आराजी में प्रार्थी के किसी भी प्रकार के कोई अधिकार निहित नहीं है। प्रार्थी अप्रार्थी गण के नाम की चक नं0 4 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के पद्म नं0 234/230 (51) किला नं0 3/.063 नहरी, 9/1/.089 नहरी, 12/1/.088 नहरी, 19/1/.088 नहरी कुल .328 है। नहरी भूमि तथा चक नं0 5 सीडीआर पटवार हल्का सहारणी के प0 नं0 232/231 (8) किला नं0 16/.253 नहरी पं0 नं0 233/231 (9) किला नं0 14/2/.127 है। नहरी ंषि भूमि के संबधं में किसी भी प्रकार की कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं अप्रार्थी गण का नाम कलमजन करवाने का अधिकारी व दावेदार नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 4 गलत एंव मनघडंत होने के कारण अस्वीकार है। विवादीत आराजी प्रार्थी की खरीदशुदा नहीं है और ना ही विवादित आराजी पर प्रार्थी काबिज नहीं है। विवादित आराजी अप्रार्थी गण की खातेदारी कृषि भूमि है। विवादित आराजी पर जब तक मुस्मात सरोज जीवित रही उस वक्त तक मुस्मात सरोज व अप्रार्थी गण का कब्जा काश्त रहा ओर मुस्मात सरोज की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी गण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थी गण ने विवादीत आराजी गलत रूप से कागजात माल में अपने नाम से दर्ज नहीं करवाई है बल्कि अप्रार्थी गण विवादीत कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी गण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का अपनी सुविधानुसार हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग करने के लिए स्वतंत्र है। विवादीत कृषि भूमि पर अप्रार्थी गण बतौर खातेदार काविज है। प्रार्थी का किसी भी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। प्रार्थी अति लालच के वंशीभूत होकर अप्रार्थी गण की खातेदारी कृषि भूमि से अप्रार्थी गण को गैर कानूनी तरीके से वेदखल कर कब्जा करने की फिराक में है। यदि प्रार्थी अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो अप्रार्थी गण को अपूर्णिय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थी गण के पक्ष में है। प्रार्थी का प्राथना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय खर्चा खारिज फरमाया जाये।

वहस वकुलाय राजस्व प्रार्थना पत्र बावत अस्थाई निशेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुनी गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों आर.आर.डी. 2015 पेज 497, जयपुर विकास प्राधिकरण वनाम भोरी देवी, आर.आर.डी. 1994 पेज 780 एल.आरस.ऑफ चतरू वनाम कल्याण आदि, आर.आर.टी. 2018-2019 सपलीमेन्ट्री पेज 531, अचलाराम वनाम भैराराम, 2019 डी.एन. (एस.सी.) पेज 927 व विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 123 मोहरपाल आदि वनाम प्रभुसिंह, 2021(1) डी.एन.जे. , 118 पेज 138 बाबुलाल वनाम वनारसी देवी का अध्ययन कर इन्हे मार्गदर्शी सिधान्तों के रूप में उपयोग किया। हमने प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण, जवाव प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण, उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा जमावन्दीयां, जल-संसाधन विभाग की वारावन्दी, शपथ पत्रों का अध्ययन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन विन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है।

1- प्रथम दृष्ट्या मामला :- प्रथम दृश्ट्या मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो की वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्ट्या आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा वर्ष 2001 में विवादित आराजी को खरीदा गया था लेकिन ऐसा कोई पंजीकृत बैयनामा अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है और प्रार्थी ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है जो प्रथम दृष्टया मामला उनके पक्ष में सिद्व कर दे। हमारे विनम्र अभिमत में इस प्रकरण में बिना किसी दस्तावेज या साक्ष्य अभिलिखित खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2- सुविधा का सन्तुलन :- अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि अगर हस्तगत प्रकरण में व्यादेश नहीं दिया गया तो वादीगण/प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नहीं।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अंकित किया है कि अप्रार्थीगण ने गलत तरीके से कागजात माल में विवादित आराजी अपने नाम करवा ली। इस बावत भी-कोई दस्तावेज प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं हुआ है एवं प्रार्थी यह सिद्ध नहीं कर सका है कि अगर प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जाती है तो उसे किस प्रकार अधिकतम असुविधा होगी। न्यायालय के अभिमत में चूंकि अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है तो अधिकतम असुविधा अप्रार्थीगण को होगी न कि प्रार्थी को। अतः सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3- अपूरणीय क्षति :- उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए है। चूंकि अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है और प्रार्थी पंजीकृत दस्तावेज, साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाया है। अतः प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला,सुविधा का सन्तुलन और अपूर्णनीय क्षति सावित नहीं होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वावत् अस्थाई व्यादेश भली-भांति प्रार्थी के पक्ष में सावित नहीं होने के कारण अस्वीकार/ खारीज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाव्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख भण्डार जमा हो।

निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी